


दृष्टा / आतापीन

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
30.10.18	<p>पत्रावली सेवा हुई। बार-बार आवाज लगाया जाने के बाद भी न तो अश्री. अपीलान्त और न ही स्वयं अपीलान्त उपस्थित आए। अतः अपील अपीलान्त अदम्य वेंचरी अदम्य हाजिरी से रवाना की जाती है। पत्रावली प्रेषित बुझाए लेकर नख्त से कम की मात्रा बाद लम्बील जाहला प्रारितल पत्रलर की जावे।</p> <p></p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>